

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक डायरेक्टर एंड S.O. मुकाम वायड

दुडाराम बनाम सराराम गोरग

किस्म मुकदमा रा० नो० 111,128 RCR Act नं. 23/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/01/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>जगदिश गोडाल</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111,128 RCR Act</u> राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>18/02/19</u> को पेश हो।	
18/02/19	<u>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथी/गोरग</u> <u>के नोटिस तामील सुद्धा प्राप्त जिनके तामील</u> <u>पत्रावली किया गया। विप्राथी/गोरग वाक्युड</u> <u>तामिल अनुउपस्थित। सम्पन पीठामिन अधिकारी</u> <u>द्वारा कार्रवाई में व्यत्यय होने से मिशाल रूतवा</u> <u>द्वारा कार्रवाई दिनांक 27/03/19 को पेश हो।</u>	
27/03/19	<u>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्राथी/गोरग</u> <u>अनुउपस्थित। सम्पन पीठामिन अधिकारी</u> <u>द्वारा कार्रवाई में व्यत्यय होने से मिशाल</u> <u>रूतवा द्वारा कार्रवाई दिनांक 22/04/19</u> <u>को पेश हो।</u>	



22/04/19

पार्थी वहील उपलिन। विपार्थीगण अनुपलिन।
भीमान पीठानी अधिकारी डिग्न कार्पो में व्याप्त होने से मिवाल इल्लका दोडर आगापी डिनांड 11/06/2019 को पैरा दो।

11/06/19

पार्थी वहील उपलिन। विपार्थीगणों से भी और से कोई उपलिन नहीं हुआ। भीमान पीठानी अधिकारी डिग्न कार्पो में व्याप्त होने से मिवाल इल्लका दोडर आगापी डिनांड 16/09/19 को पैरा दो।

16/09/19

पार्थी वहील उपलिन। विपार्थीगण अनुपलिन। भीमान पीठानी अधिकारी डिग्न कार्पो में व्याप्त होने से मिवाल इल्लका दोडर आगापी डिनांड 27/11/19 को पैरा दो।

27/11/19

पार्थी वहील उपलिन। विपार्थीगण अनुपलिन। भीमान पीठानी अधिकारी अधिकार में पधारें हुए हैं। इन: मिवाल इल्लका दोडर आगापी डिनांड 18⁰²/₂₀ को पैरा दो।

18/02/20

पार्थी वहील उपलिन। भीमान पीठानी अधिकारी डिग्न कार्पो में व्याप्त होने से मिवाल इल्लका दोडर आगापी डिनांड 24/02/2020 को पैरा दो।

24/02/20

पार्थी वहील उपलिन। विपार्थीगण अनुपलिन। भीमान पीठानी अधिकारी डिग्न कार्पो में व्याप्त होने से मिवाल इल्लका दोडर आगापी डिनांड 18/03/2020 को पैरा दो।

24/10/2020


ख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

24/10/2020

पार्थी व विपार्थी वकील भी रिणद्वाराम
लिप्याग उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की
व्यवस्था सुनी गई। विपार्थी वकील द्वारा प्राप्त पार्थी-
पत्र O-L R-10 CPC को स्वीकार किया जाकर उक्त
क्रिकेट में विपार्थी संख्या - 17 से 19 ~~का~~ पत्र
पक्षकार बनाया गया। पार्थी वकील द्वारा संशोधित
विषय पैरा किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं
की व्यवस्था सुनी गई। पार्थी के अधिवक्ता द्वारा
कृत। पार्थी व विपार्थी गणों की खालेगी भूमि
सेग लेव गई हुई है। पार्थी व विपार्थी गणों के खेतों
के मध्य जो पुरानी माँके व फले माँके हुए थे जो पत्र-
मान में माँके की वजह से बिखर गये हैं जिससे
पार्थी को अपने खेत के सेगे का सही ज्ञान नहीं हो
पा रहा है इस कारण पार्थी व विपार्थी गणों के मध्य
खेत के सेगे की लेकर लड़ाई बचा रहना है पार्थी
को अपने खेत के सेगे का सही ज्ञान करने हेतु नैषम-
वन्ती करवानी आवश्यक है इसलिए पार्थी का नैषमवन्ती
क्रिकेट स्वीकार किया जाकर नैषमवन्ती क्रिकेट किया जावे।
कृत: पार्थी व विपार्थी अधिवक्ता की
व्यवस्था सुनने के बाद पार्थी का नैषमवन्ती क्रिकेट
स्वीकार किया जाकर तटस्थता कायम की इमिग्रर
निष्पत्त किया जाकर क्रिकेट दिया जाता है कि भाप
स्वयं या अपने अधिवक्ता किसी भी भू-समिलेय निरिस्त
से पार्थी के खालेगी खेतों की पक्षी नैषमवन्ती माँके
पर इमिग्रर खुल्लु जमा कराकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त
होने पर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फॉर्मल सुकर
होकर डॉ. नम्बर से इस ही दाखिल इफ्तार है।


सहायक कमिश्नर
(SDO) बायतु


तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पार्थीगण
235
2020/235

18/03/20

पार्थी वडोल उपस्थित। वडोल श्री शिवाचार्य
सिंघान द्वारा अनुमतराम, रामाराम पिठ लच्छाराम
शमरुकी पति लच्छाराम जाति-जाट निवासी
चवानाडा, डोसरिया लक्ष्मील-बागडु ही मॉर ले
वडालातनामा मय प्रार्थना-पत्र अंतर्गत मॉर
1 निशम-10 उपस्थित धारा 151 CPC वासी बनाने
पत्रकार कर्ण विपरीतगै पेश किया गया तथा
साथ ही इनही तरफ से जवाब पेश किया गया।
प्रार्थना-पत्र-0-1, 2-10 CPC की प्रति पार्थी अविबस्ता
को ही जाडर शामिल पत्रावली किया गया। अंत
प्रार्थना-पत्र वदम देड पत्रावली दिनांक 20/05/20
को पेश है।


सहायक कलेक्टर
(SDO) बाबत

20/05/20

पत्रावली आज पेश हुई। डोबिन-2019
के चलते डोबिन नहीं किया गया। श्रीमान
पौडालीन अविबकारी डिग्न डार्थी से अन्ध होने
से मिकाल इलतवा डोडर आगामी दिनांक 06⁰⁷/₂₀₂₀
को पेश है।

06/07/20

पत्रावली आज पेश हुई। डोबिन-2019
के चलते डोबिन नहीं किया गया। श्रीमान
पौडालीन अविबकारी डिग्न डार्थी से अन्ध होने
से मिकाल इलतवा डोडर आगामी
दिनांक 24/07/20²⁰ को पेश है।

//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक:- 24/09/2020

क्रमांक / वाद / 2020 / 735

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. दूदाराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट
निवासी चवानाड़ा तहसील बायतु
जिला बाड़मेर

1. सताराम पुत्र पुनमाराम 16 वगैरा निवासी
चवानाड़ा तहसील बायतु
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या / 20

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चवानाड़ा पटवार हल्का कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 381/80 रकबा 28.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक / वाद / 2020 / 736-740

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 24/09/2020

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री दूदाराम
4. विप्रार्थीगण सताराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा/बायतु/नागाणा ।

सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु